राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

निविदा सूचना

क्रमांकः एचसी / एसके / 2020–21 / 82 दिनांक : 17.06.2020

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय के उपयोगार्थ विभिन्न प्रकार ट्यूब एवं टायर (ट्यूबलेस एवं सामान्य) की वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर खरीद (अनुमानित मूल्य रूपये 2,00,000 / –) हेतु दरों के सम्बन्ध में मोहर बंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र दिनांक 18.06.2020 से दिनांक 24.06.2020 तक कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क देकर मुख्य रोकड़पाल से खरीद किया जा सकेगा, जिसे दिनांक 24.06.2020 को प्रातः 11.00 बजे तक कार्यालय में जमा करवाया जा सकेगा। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 24.06.2020 को प्रातः 11.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्ते http://www.hcraj.nic.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी।

आज्ञा से,

17.6.2020

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

UBN is: RHC2021GSRC00005

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: निविदा एवं अनुबन्ध की शर्ते ::

A. निविदा जारी करने वाले का नाम एवं निविदा का विवरण

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (राज०), फोनः .2888500-504, फैक्स: 0291-2888080, ईमेल – hc-rj@nic.in
2. निविदा सूचना राज्य सरकार के नियमों के अनुसार समाचार पत्रों में जारी करने के साथ विभाग की अधिकृत वेबसाइट http://hcraj.nic.in एवं राज्य सरकार की वेबसाइट https://sppp.rajasthan.gov.in पर भी प्रकाशित की जायेगी।
3. निविदादाता से अपेक्षित है कि निविदा प्रपत्र जमा करवाने से पूर्व सम्पूर्ण निविदा का भली–भांति अध्ययन कर ले। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु निविदा सूचना की अंतिम तिथी से पूर्व तक कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है। तथापि विभाग किसी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ अथवा उससे पूर्व निविदा शुल्क एवं बयाना राशि विहित रूप में जमा करानी अनिवार्य है जिसके बिना निविदा निरस्त समझी जायेगी।
5. निविदादाता द्वारा निविदा निर्धारित प्रारूप मय अनुलग्नकों के तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर व मोहर लगाकर सभी दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में कार्यालय में दिनांक 24.06.2020 को प्रातः 11.00 बजे तक जमा कराना अनिवार्य है। जिसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. विभाग को किसी भी स्तर पर निविदा को, पूर्णतः(Completely) अथवा अंशतः(Partly) को, स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत/निरस्त निविदाओं के निविदादाताओं से कोई विचार–विमर्श नही किया जायेगा।

B. कार्य का विवरण

1. उक्त निविदा के तहत निम्नलिखित वाहनों के उपयोगार्थ टायर एवं ट्यूब की खरीद वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर की जाने है

S.No.	Model Name of Vehicle	Tyre Qty.
1	Swift Dzire	16
2	Innova Crysta	20
3	Skoda Superb	4
4	Corolla Altis	12
5	Innova	6
6	Maruti Ertiga	4

Note : (i) सभी निविदादाताओं को MRF, CEAT, Apollo and Bridgestone हेतु दरें आवश्यक रूप दी जानी है इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी लोकप्रिय ब्राण्ड हेतु दरें प्रस्तुत कर सकता है, जैसे – Michelin, JK , Goodyear, Falken इत्यादि

(ii) सभी निविदादाताओं को अपनी फर्म के लेटर हेड पर आवश्यक रूप से उनके द्वारा दी गई दरों के सम्बन्ध में प्रत्येक आइटम्स का ब्राण्ड एवं मॉडल आवश्यक रूप से संलग्न करना है ताकि प्राप्त दरों का तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सकता है।

2. निविदादाता को उसके द्वारा दी गई दरों के सम्बन्ध में टायर एवं ट्यूब बनाने वाली कम्पनी का नाम मय मॉडल नम्बर/नाम स्वयं के लेटरहेड पर आवश्यक रूप से देना होगा।
3. निविदादाता अधिकतम पॉच अलग–अलग विनिमार्ता कम्पनी अथवा ब्राण्ड के टायर एवं ट्यूब हेतु दरें प्रस्तुत कर सकता है। जिन–जिन ब्राण्डो के टायर एवं ट्यूब हेतु दरे प्रस्तुत की जा रही है उनके केटलॉग/विवरण लगाकर निविदा प्रपत्र के संलगन करना आवश्यक है।
4. निविदादाता फर्मो द्वारा प्रस्तुत अलग–अलग मेक एव ब्राण्ड के टायर एवं ट्यूब में से किस मेक एवं ब्राण्ड के टायर एवं ट्यूब क्रय किये जाने है इसका अन्तिम निर्णय माननीय क्रय समिति द्वारा लिया जायेगा, जो कि अन्तिम एवं सभी को मान्य होगा। क्रय समिति टायर एवं ट्यूब की गुणवत्ता अथवा मूल्य दोनों में से किसी भी आधार पर टायर एवं ट्यूब क्रय करने को स्वतंत्र है।
5. समग्र रूप से सभी आइटम्स हेतु कम दरे प्रस्तुत करने वाली फर्म (L1) को ही कार्यादेश दिया जायेगा। अगर किसी कारणवश एक फर्म द्वारा सभी आइटम्स हेतु समग्र रूप से न्यूनतम दरें प्रस्तुत नही कि जाती है तो ऐसी परिस्थिति में क्रय समिति न्यूनतम दरें प्रस्तुत करने वाली सम्बन्धित फर्मो से वातो कर समग्र रूप से प्राप्त न्यूनतम दरों से सम्बन्धित फर्म का चयन कर सकती है।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

Continue Page 03

C. सामग्री की गुणवत्ता और नमूना

1. किसी भी वस्तु की गुणवत्ता के सम्बन्ध में स्थायी मानक व मापदण्ड नहीं होने की दशा में उसकी सप्लाई कार्यालय द्वारा उपलबध करवाये गये नमूने अथवा क्रय समिति द्वारा दिये गये मापदण्ड के अनुसार ही होनी चाहियें ।
2. निविदा में वर्णित वस्तुओं/सामान के नमूना, वांछित गुणवता इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।

D. अमानत राशि/प्रतिभूति राशि

1. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के अनुरूप 2 प्रतिशत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अमानत राशि हेतु जो कि '*रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर*' के नाम से देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. सफल निविदादाता को सप्लाई आदेश प्राप्ति के पश्चात 7 दिवस के भीतर Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के नियम 75 के प्रावधानों के अनुसार 5 प्रतिशत राशि नकद/बैंक गारण्टी/डी.डी. प्रतिभूति के रूप *रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर* में जमा करानी होगी, जिसका पूर्व में जमा 2 प्रतिशत अमानत राशि का समायोजन किया जा सकेगा।
3. यदि कोई निविदा प्रपत्र बिना धरोहर राशि के अथवा निर्धारित अमानत राशि से कम का पाया जाता है तो उसे बिना कारण बताये अस्वीकार किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
4. सभी असफल निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा अमानत राशि निविदा के सफल निस्तारण के पश्चात लौटा दी जायेगी तथा इसके लिये किसी प्रकार ब्याज इत्यादि देय नही होगा।

E. दरें/मूल्य

1. निविदा प्रपत्र में दरें भारतीय रूपयें में लिखी होनी चाहिये, वर्णित दरें GST सहित एवं F.O.R स्टोर/फिटिंग सहित/निर्देशानुसार होनी चाहिये।
2. दरें Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के नियम 29 को लागू करते हुये कम से कम एक वर्ष की अवधि तक मान्य होनी चाहिये। निविदादाता दरों में उतार चढ़ाव या किसी भी अन्य कारण से हुये नुकसान के लिये दावा नहीं कर सकेगा।
3. **कार्यालय निविदा में वर्णित अनुमानित मात्रा से कम या अधिक मात्रा में सप्लाई आदेश दे सकता है जिसे फर्म सप्लाई करने के लिए एक वर्ष तक बाध्य होगी।** इसके लिए निविदादाता किसी भी प्रकार का दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा।

F. प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfieture of Security Deposit) :–

निम्नलिखित मामलों में में प्रतिभूति राशि को समपहृत कर लिया जाएगाः–

(a) जब संविदा में किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो,
(b) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहता हो,
(c) जमा कराई गई प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने से पूर्व युक्तियुक्त समय देते हुए निविदादाता को नोटिस दिया जाएगा,
(d) बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप की समपहृत की गयी राशि सम्बंधित विभाग के शीर्ष "अन्य प्राप्तियों" में जमा करायी जाएगी तथा अन्तरण प्रविष्टि की व्यवस्था लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
(e) प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदायः– अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के तीन माह पश्चात प्रतिभूति निक्षेप निविदादाता को लौटा दिया जावेगा। जिसके लिये किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

Continue Page 04

G. जुर्माना

1. सफल निविदादाता द्वारा सप्लाई आदेश पूर्ण नही करने पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जायेगा।
2. अधोहस्ताक्षरकर्ता सबसे कम मूल्य वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नही है साथ ही सप्लाई किये जाने वाले माल की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। निविदा को अनुबन्ध अवधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण अथवा आंशिक रूप से समाप्त करने की घोषणा कर सकता है।
3. सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पक्ष में सुरक्षित रहेगा तथा वह एक प्रकार की सामग्री के लिये एक से अधिक निविदादाता को सप्लाई आदेश देने के लिये स्वतंत्र होगा।
4. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर उक्त निविदा के सफलता पूर्वक सम्पादन हेतु वर्णित नियम एवं शर्तो में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिये स्वतंत्र होगा।
5. सफल निविदादाता को सप्लाई आदेश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर ही सामान की सप्लाई करनी होगी। सप्लाई किया गया सामान नियमानुसार नहीं पाये जाने पर सप्लाई आदेश निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
6. अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। संतोषप्रद सप्लाई के पश्चात ही भुगतान देय होगा। दिये गये सप्लाई आदेश के अनुसार माल की सप्लाई एक साथ ही करनी होगीं। वस्तु/ सामान निर्धारित मापदण्ड/ गुणवता का नहीं होने पर निविदा दाता के हर्जे खर्चे पर पुनः लौटा दिया जायेगा तथा वांछित सामान बाजार से क्रय किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अन्तर राशि सम्बन्धित निविदादाता से वसूल की जायेगी। उक्त कार्य के सम्पादन में यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है, तो इसके लिये कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा न ही कोई जिम्मेवारी होगी।

H. अपात्रता

निविदाएं निम्न कारणों से अपात्र घोषित की जा सकती है :

1. बिना निविदा मूल्य एवं बयाना राशि के जमा निविदाएं।
2. अपूर्ण निविदायें
3. भ्रामक अथवा गलत तथ्य/ दावे प्रस्तुत करने वाली निविदायें।
4. विभाग द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण को न प्रदान कर पाना/तय समय से देरी प्रदान करना।
5. एक से ज्यादा निविदाएं प्रस्तुत करना। ऐसा होने पर फर्म द्वारा भरी गयी समस्त निविदाएं तकनीकी मूल्यांकन में निरस्त की जा सकेंगी।
6. अपूर्ण व सशर्त निविदा प्रस्तुत करना।
7. तकनीकी अहर्ताओं का पूर्ण न कर पाना।
8. निविदादाताओ अथवा उसके किसी प्रतिनिधि का अवांछित रूप से प्रभाव डालना/डलवाना, विवाद इत्यादि करना, रिश्वत इत्यादि का प्रस्ताव करना अथवा गैर कानूनी रूप से तुष्टीकरण करना।
9. अल्प वैधता वाली निविदा प्रस्तुत करना।

I. सामान्य नियम, शर्ते एवं भुगतान

निविदा हेतु सामान्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगे।

1. सफल निविदादाता को सप्लाई आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर निविदा के अनुमानित मूल्य के 0.25 प्रतिशत राशि का नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पर कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध–पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। इसका व्यय सम्बन्धित निविदादाता द्वारा ही वहन किया जायेगा।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

Continue Page 05

2. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी। वार्षिक अनुबन्ध पर ली जाने वाली वस्तुओ/सामान की स्वीकृत दरें एक वर्ष (सप्लाई आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष) के लिये मान्य होगी, जिसे फर्म किसी भी परिस्थिति में सप्लाई करने के लिए बाध्य होगी।
3. सफल निविदादाता को सप्लाई आदेश में वर्णित सामान/आइटम्स की सप्लाई इस कार्यालय द्वारा चाहे गये निर्दिष्टि स्थान (चाहे वह भवन का प्रथम तल या अन्य कोई स्थान हो) पर करने की समस्त जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।
4. सफल निविदादाता द्वारा सप्लाई किये गये सामान में किसी भी प्रकार की टूट–फूट, मेन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अथवा उपयोग के योग्य नही पाये जाने पर उसे 10 दिवस के भीतर–भीतर बदल कर देना होगा।
5. सफल निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा सप्लाई की गई सामग्री कार्यालय द्वारा स्वीकृत किये नमूने अनुसार ही हो तथा माल डुप्लीकेट/अन्य ब्राण्ड या मेक का होने की स्थिति में वस्तु की खरीद द्वितीय न्यूनतम निविदादाता या स्थानीय बाजार से क्रय कर अन्तर की राशि सफल निविदादाता से वसूल किया जायेगा।
6. भुगतान हेतु विपत्र तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा तथा भुगतान की कार्यवाही सप्लाई के भौतिक रूप से सत्यापित हो जाने के पश्चात ही किया जायेगा।
7. विपत्रों का भुगतान केवल ECS के माध्यम से किया जायेगा तथा इस हेतु निविदादाता को वांछित सूचना जैसें – PAN No., GSTIN No, Bank A/C No., Name of Bank, Branch, IFSC Code, MICR Code, etc. उपलब्ध करवानी होगी। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना कम अथवा गलत पाये जाने पर होने वाली देरी अथवा नुकसान की जिम्मेवारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
8. कार्यालय निविदाप्रपत्र में भर गये सभी तथ्यों एवं उसके संलग्न दस्तावेजों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की त्रुटि/जालसाजी पाये जाने पर उसे निविदा अनुबन्ध का उल्लंघन मानते हुये आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा।
9. लेवी, कर, पैकिंग, अग्रेषण, भाड़ा, बीमा, लदान और उतराई, प्रवेश कर, डेमो इत्यादि सभी प्रकार के शुल्क निविदादाता द्वारा ही वहन किया जायेगा। कार्यालय द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित दरों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. सामग्री सप्लाई आदेश में वर्णित समय अवधि (कार्यालय द्वारा निर्धारित समय) के भीतर ही करनी होगीं। विलम्ब से सप्लाई पर निम्नानुसार शास्ति लगाई जायेगी–

Condition	LD %*
Delay up to one fourth period of the prescribed period of supply	2.50%
Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed period of supply	5.00%
Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed period of supply	7.50%
Delay exceeding three fourth of the prescribed period of supply	10.00%

11. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही सम्पादित करेगा स्वीकृत कार्य को किसी अन्य एजेन्सी या फर्म के माध्यम से नहीं करवायेगा अर्थात् सबलेट नहीं करेगा।
12. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के General Financial and Accounts Rules व Transparency in Public Procurement Act, 2013 & Rules, 2013 के प्रावधान लागू होगें।
13. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी ।

मैने/हमनें उक्त वर्णित नियमों एवं शर्तो को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा मैं/हम उक्त नियम और शर्तो से पूर्णतया सहमत है। इस सम्बन्ध में भविष्य में किसी भी प्रकार के होने वाले विवाद के लिये मैं/हम स्वयं जिम्मेदार होगें ।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

Continue Page 06

Annexure-1

घोषणा पत्र

(फर्म द्वारा स्वय के लेटर हेड पर घोषणा पत्र)

उपरोक्त समस्त जानकारी शर्तो को मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि उक्त निविदा के सम्बन्ध में श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा लिया गया निर्णय हमारे लिये मान्य होगा। प्रतीकस्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील कर दिये है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म द्वारा वास्तव में निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/ उपकरण/ तकनीकी अनुभव व तकनीकी कर्मचारी आदि उपलब्ध है।

मेरी/हमारी फर्म को राज्य सरकार/ बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ स्वायत्तशासी संस्थान/ निगम/ बैंक आदि के द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है।

यदि उपर्युक्त वर्णित घोषणा असत्य पायी जाए तो राजस्थान उच्च न्यायालय मेरी/हमारी फर्म के विरूद्ध कोई भी न्यायोचित कार्यावाही कर सकता है ।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

Continue Page 07

Annexure-2

कार्यानुभव का विवरण

(फर्म द्वारा स्वय के लेटर हेड पर पूर्व में इस प्रकार के किये गये प्रिण्टिंग कार्य का पूर्ण विवरण कार्य)

विभाग / संस्थान का नाम	राजकीय / अर्द्धराजकीय / प्राइवेट	कार्यादेश नम्बर / दिनांक	कार्यादेश का मूल्य	क्या वर्तमान में इस विभाग / संस्थान में कार्य किया जा रहा है (हॉ / नही)

नोट – कार्यादेश की प्रति प्रमाण स्वरूप आवश्यक रूप से संलग्न करें

Annexure-3

RTGS DETAILS OF FIRM (ON FIRM LETTER HEAD)

(Must be filled)

Dear Sir,

We hereby confirm that we are willing to opt for payment to be received through RTGS / NEFT. The bank details duly confirmed by bank, for receipt of payment against material supply/services, miscellaneous dues.

Bank Details

a. Account No. :

b. Type of Account :

c. Bank Name :

d. Branch Name & Address :

e. Contact No. of the branch :

f. IFSC No. :

g. PAN No. :

Communication Details

1. Email ID :
2. Cell No. :

We authorize you to deduct necessary bank charges of NEFT/RTGS .

We have forwarded a soft copy of the above details to hc-rj@nic.in on date__

Yours faithfully,

____

(Signature & Name of auth. sign. with company/firm stamping)

Bank Confirmation

Certified that the furnished above bank details are correct as per our records.

Bank's Stamp Authorized Signatory______________________ Date ___